भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 576/3/ईवीएम/2015/एसडीआर/खण्ड-I दिनांक : 5 जून, 2015

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

1. मेघालय
2. केरल
3. त्रिपुरा
4. मध्य प्रदेश
5. तमिलनाडु।

विषय : **राज्य विधान सभाओं के उप-निर्वाचन, 2015-इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग।**

महोदय,

मुझे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 क के अनुसरण में जारी किए गए आयोग के दिनांक 05 जून, 2015 के निदेश, सं. 576/3/ईवीएम/2015/एसडीआर/खण्ड-I को इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, जिसमें **मेघालय में 59-चोकपोट (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र, केरल में 136-अरुवीकरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, त्रिपुरा में 13-प्रतापगढ़ (अ.जा.) तथा 46-सुरमा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मध्य प्रदेश में 227-गरोठ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडु में 11-डॉ. राधाकृष्णन नगर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र** को ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिनमें विधान सभाओं के चालू उप-निर्वाचनों, जैसा कि दिनांक 03-06-2015 (बुधवार) को अधिसूचित किया गया है, में मतों का डाला जाना एवं उनका रिकार्ड रखना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से किया जाएगा। यह निदेश राज्यों के सरकारी राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और इस राजपत्र की दो प्रतियां आयोग की सूचना एवं रिकार्ड हेतु अग्रेषित की जाए।

2. इसके अतिरिक्त, मुझे मतदान मशीनों की डिजाइन, बेलेटिंग यूनिट पर मतपत्र के रूप एवं भाषा (ओं), निविदत्त मतपत्र की डिजाइन एवं भाषा और मतदान के पश्चात वोटिंग मशीनों को सीलबंद करने के संबंध में निर्वाचनों का संचालन अधिनियम, 1961 के नियम 49क, 49ख, 49त और 49न(2) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है। इस संदर्भ में, रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका, संस्करण 2014 के अध्याय-XI 'वोटिंग मशीनों के लिए डाक मतपत्र और मतपत्र' में निहित संगत अनुदेशों का कृपया अनुसरण किया जाए।

3. ऊपर उल्लिखित अनुदेश सूचना एवं अनुपालन के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं।

4. जहां तक मतों की गणना का संबंध है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 50 से 54क, 60 से 66क और 55ग से 57ग के प्रावधानों और मतों की गणना से संबंधित आयोग के विस्तृत निदेशों और अनुदेशों, जैसा कि रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका-2014, (जहां ईवीएम का प्रयोग होता है) के अध्याय XV में दिया गया है, की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। रिटर्निंग अधिकारियों को कहा जाना चाहिए कि वे उक्त अनुदेशों और निदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें।

5. कृपया पावती दें।

भवदीय,

(एन. टी. भुटिया)
अवर सचिव